***डॉ. सरोजनी सक्सेना* के समक्ष, जे**

सुरेश,-अपीलकर्ता।

बनाम

राजबीर सिंह,-प्रतिवादी।

एफ.ए.ओ. सं.1993 का 5-एम

9 मई, 1996

हिंदू विवाह अधिनियम, 1995-धारा 13 * 21-अपील दायर करने वाले पति-पत्नी को तलाक के लिए फरमान दिया गया-अपील विचाराधीन रहने के दौरान पति की मृत्यु, क्या अपील समाप्त हो जाती है?

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अपील को केवल इस आधार पर उपशमन करने की अनुमति दी जाती है कि पति की मृत्यु हो गई है, तो यह अपीलकर्ता की स्थिति के साथ-साथ उसके संपत्ति अधिकारों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसके लिए वह हकदार हो सकती है, यदि अपील तथ्यो के आधार पर तय की जाती है। यदि वह डिक्री को रद्द करने में सफल होती है, तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने मृत पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को विरासत में पाने की हकदार होगी। निस्सन्देह, यह एक रेम मे निर्णय है। उसकी स्थिति खतरे में है। अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अपील को केवल इस आधार पर समाप्त करने की अनुमति दी जाती है कि पती की मृत्यु हो गई है, तो यह अपीलार्थी की स्थिति के साथ-साथ उसके संपत्ति अधिकारों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसके लिए वह हकदार हो सकती है, यदि अपील का

निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। जब कोई अपील समाप्त हो जाती है, तो डिक्री स्वचालित रूप से रद्द नहीं हो जाती है और जब तक इसे उचित तरीके से उलट या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक इसका कानूनी बल बना रहता है। इसलिए, मेरे विचार में, केवल इस आधार पर कि पति की मृत्यु हो गई है, अपील कम नहीं होती है।

(पैरा 13 &21)

श्री रामेश्वर मलिक, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री एस. के. बंसल, प्रत्यर्थी की ओर से।

***डॉ. (श्रीमती) सरोजनी सक्सेना*, जे**

इस आदेश द्वारा दो अपीलें, पत्नी/विधवा सुरेश बाला द्वारा दायर 1993 की एफ. ए. ओ. सं. 5-एम और रत्ना देवी द्वारा दायर 1995 की एफ. ए. ओ. सं. 796। आम जनता, सुरेश बाला, सपना, हरियाणा राज्य, एसएसपी सोनीपत और डीजीपी हरियाणा का फैसला किया जा रहा है।

(1) सुरेश एफ. ए. ओ. सं. के तथ्य 1993 का 5-एम यह है कि मृतक राजबीर सिंह का विवाह सुरेश बाला से 30 मई, 1980 को गाँव मतीन्दु में हिंदू संस्कारों के अनुसार हुआ था। इस विवाह में सुरेश बाला ने फरवरी, 1982 में सीमा और अक्टूबर 1985 में सोनू को जन्म दिया। 1986 में सीमा की मृत्यु हो गई। 1988-89 से राजबीर अलग रह रहे थे। सुरेश की बड़ी बहन बिमला बाला का विवाह राजबीर के बड़े भाई कश्मीरी से हुआ था। फरवरी 1988 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। सुरेश बाला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत राजबीर सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद

राजबीर सिंह ने 17 जनवरी, 1991 को निचली अदालत में यह याचिका दायर की।

(2) तलाक की याचिका में, पति राजबीर सिंह ने क्रूरता, त्याग और व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग की। उन्होंने कहा कि इस शादी में सीमा का जन्म फरवरी 1982 में गाँव किलोई में हुआ था जहाँ उनके माता-पिता रहते हैं। पाँच साल बाद सुरेश बाला और उसके पिता की लापरवाही के कारण गाँव माटिंदु में सीमा की मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी भी राजबीर सिंह को सीमा को इलाज के लिए गाँव किलोई लाने की अनुमति नहीं दी। सुरेश बाला और उसके पिता ने सीमा का उचित इलाज नहीं कराया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1985 को सुरेश बाला ने एक बेटे संदीप उर्फ सोनू को जन्म दिया जो गाँव किलोई में राजबीर की माँ के साथ रह रहा है। सुरेश बाला ने 14 जनवरी, 1989 को एक और बेटी को जन्म दिया, लेकिन राजबीर सिंह ने उसे अपनी वैध बेटी होने का दावा नहीं किया। उनके अनुसार, सुरेश बाला एक व्यभिचारी जीवन जी रहा था और यह बेटी सपना वैध विवाह से पैदा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरेश बाला हमेशा उनके और उनके माता-पिता के साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी । वह हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उन्हें अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण तरीके से संबोधित करती थी, घरेलू काम नहीं करती थी और हमेशा उसके और उसके माता-पिता के साथ झगड़ा करती थी। वे पेशे से एक किसान हैं। सुरेश बाला ने हमेशा कृषि कार्य करने से इनकार कर दिया और जब भी उसे ऐसा कोई काम करने के लिए कहा जाता था तो वह गुस्से में आ जाती थी और उन्हें गाली देती थी। उसे बीड़ी पीने की बहुत लत थी और उसके कहने के बावजूद उसने धूम्रपान नहीं छोड़ा। राजबीर सिंह खुद धूम्रपान नहीं करते हैं। वह हरियाणा पुलिस की सेवा में है। सुरेश बाला उनकी अनुपस्थिति में वैवाहिक घर छोड़ देती थी । जब भी वह अपने गाँव किलोई वापस आता

था, तो वह उसे लापता पाता था । सुरेश बाला की तलाश में वह गाँव मतिंदु जाता था, लेकिन वह उसे वहाँ नहीं पाता था । वह गाँव कमी जाती थी जहाँ उसका एक दूर का रिश्तेदार रहता था । राजबीर सिंह जब भी कमी को वापस लाने के लिए जाता था, तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसके साथ वापस आने से इनकार कर देती थी। इस प्रकार, वह उसके साथ मानसिक क्रूरता का कारण बनी।

(3) राजबीर सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर की थी, जिसमें उसने निराधार आरोप लगाए कि उसने 40,000 रुपये की मांग की और राजबीर सिंह के हाथों उसकी जान को खतरा था। इन झूठे आरोपों ने उन्हें मानसिक यातना भी दी। बिमला को इलाज के लिए रोहतक के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि वह कैंसर से पीड़ित थीं। 6/7 महीने तक उनका इलाज चल रहा था और 29 फरवरी, 1988 को उनकी मृत्यु हो गई। 8 मई, 1990 को राजबीर की बहन के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन इन दोनों अवसरों पर सुरेश बाला कभी भी शोक व्यक्त करने के लिए वैवाहिक घर नहीं आई । उन्होंने जनवरी 1988 में वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपने सभी गहने आदि ले गईं। उसके साथ, किलोई में संदीप को छोड़ दिया और तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। उसने उसे वापस लाने के कई प्रयास किए, लेकिन उसने और उसके पिता ने मना कर दिया। मार्च 1989 में ही उन्हें पता चला कि उन्होंने जनवरी 1989 में एक बेटी को जन्म दिया है। उसने विशिष्ट आरोप लगाया कि उसके भीम सिंह के बेटे सुमेर सिंह के साथ अवैध संबंध थे, जो उससे एकांत में बात करता था। इन आधारों पर उन्होंने तलाक की डिक्री के लिए प्रार्थना की।

(4) पत्नी-अपीलार्थी सुरेश बाला ने 25 फरवरी, 1991 को अपना लिखित बयान दाखिल किया। उन्होंने क्रूरता, पलायन और व्यभिचार के सभी आरोपों से

इनकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीनों बच्चे राजबीर सिंह के साथ वैध विवाह से पैदा हुए हैं। उसने कभी उसके या उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और न ही कभी उनकी अवज्ञा की। वह घर के सारे काम करती थी। उसका कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध नहीं रहा। उनके अनुसार, यह तलाक की याचिका भरण-पोषण का दावा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर उनकी याचिका का प्रतिवाद है। उसने दलील दी कि पती और उसके माता-पिता ने उसे प्रताड़ित किया और उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कुछ कृषि भूमि खरीदने के लिए 40,000 रुपये की मांग की। सीमा के गर्भ में होने पर उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसने मना किया, उसे पति और उसके माता-पिता द्वारा वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। उनका सारा सामान उनके पास था। यहां तक कि उनके बेटे सोनू को भी उनके साथ जाने नहीं दिया गया। तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। उसने अपने पति को नहीं छोड़ा है। बल्कि उसने उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसलिए वह अपने समाज से दूर रहने के लिए जिम्मेदार है। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसका पति कभी उसे वापस लेने आया था और उसने या उसके पिता ने मना कर दिया। उसके अनुसार, उसने और उसके पिता ने उसके पुनर्वास के लिए प्रयास किए, लेकिन पति ने उसके पुनर्वास से इनकार कर दिया।

(5) इन दलीलों पर दो मुद्दे तैयार किए गए थे। पहला मुद्दा क्रूरता और पलायन के संबंध में था, और दूसरा व्यभिचार के आधार के बारे में था। निचली अदालत में, बहस के दौरान पती के वकील ने एक बयान दिया कि पति मुद्दा नं. 2 पर जोर नहीं देता है। उसेपर विचार करते हुए, निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता-पति व्यभिचार के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार नहीं है, वह आधार जो अब उसके द्वारा

छोड़ दिया गया है। इसने यह भी कहा कि चूंकि पति ने पत्नी-अपीलार्थी के खिलाफ व्यभिचार के इस आरोप को वापस ले लिया है, इसलिए इसका आवश्यक परिणाम यह है कि तीसरा बच्चा, बेटी सपना, जिसका जन्म जनवरी 1989 में सुरेश बाला से हुआ था, कानूनी विवाह से पति की वैध संतान है।

(6) निचली अदालत ने यह भी माना है कि पति पलायन का आधार साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। पक्षकारों के साक्ष्य की जांच करने के बाद, निचली अदालत ने पैरा 14 में लिखा है कि पलायन के संबंध में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि सुरेश बाला ने कब राजबीर सिंह का घर छोड़ा, क्या उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा या उसे उसके द्वारा अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार, पलायन का यह आधार भी साबित नहीं हुआ था।

(7) हालाँकि, निचली अदालत ने माना कि अपीलार्थी-पत्नी ने अपने पति राजबीर सिंह के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। वह उसे विभिन्न मामलों में मानसिक क्रूरता का कारण बनी। सबूतों पर चर्चा करते हुए, यह माना गया कि जब बिमला की मृत्यु हो गई और जब राजबीर सिंह की बहन के पति की मृत्यु हो गई, तो वह कभी शोक व्यक्त करने नहीं आई। वह अपने माता-पिता के घर जाती थी और जब भी वह उसे वापस लाने के लिए मतिंदु जाता था, तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। अदालत ने यह भी कहा कि उसने राजबीर सिंह के साथ-साथ उसके माता-पिता के साथ भी दुर्व्यवहार किया, कभी भी घर का काम नहीं किया और हमेशा झगड़ा करने का रवैया अपनाया। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि जब भी पति अपनी पोस्टिंग के स्थान से वापस आता था और उसे वैवाहिक घर से लापता पाता था, तो वह उसे वापस लाने जाता था, लेकिन उसने मना कर दिया, और इस तरह पति को यौन भुखमरी महसूस होती थी। अदालत ने

यह भी कहा कि उसने धारा 125 सीआरपी सी के तहत दायर अपनी याचिका में झूठे आरोप लगाए कि पति ने कुछ कृषि भूमि खरीदने के लिए 40,000 रुपये की मांग की और सीमा के गर्भ में होने पर उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। अदालत ने आगे कहा कि यह आरोप लगाते हुए उसने आगे आरोप लगाया है कि इन परिस्थितियों में उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया और उस समय सोनू को उसके साथ जाने की अनुमति नहीं थी। अदालत ने माना कि सीमा सोनू से बड़ी थी। यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि जब सीमा गर्भ में थी, तब सोनू उसके वैवाहिक घर में रह रहा था। इस प्रकार, इन निष्कर्षों के आधार पर निचली अदालत ने निर्णय दिया कि अपीलार्थी-पत्नी सुरेश बाला ने अपने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और केवल उसी आधार पर तलाक की डिक्री उसके पक्ष में पारित की जाती है।

(8) अपीलार्थी-पत्नी सुरेश बाला ने विभिन्न आधारों पर क्रूरता के इस निष्कर्ष का खंडन किया है। उसके अनुसार, अभिलेख पर साक्ष्य से यह विधिवत साबित होता है कि उसके पति और उसके माता-पिता द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था। उसने उसके खिलाफ व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया है। उसने कभी भी उसके माता-पिता की सहमति के बिना वैवाहिक घर नहीं छोड़ा। जब भी उसका पति उसे वापस लेने जाता था, वह उसके साथ जाती थी। उसने न तो उससे और न ही उसके माता-पिता से झगड़ा किया और न ही उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उसने यह भी दावा किया है कि उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि वह बीड़ी धूम्रपान की आदी थी। इस प्रकार, उसने उक्त निष्कर्ष के उलट होने का दावा किया।

(9) यह अपील 7 जनवरी, 1993 को दायर की गई थी। यह स्वीकार किया गया कि पति राजबीर सिंह की मृत्यु 14 मार्च, 1993 को हुई थी। इसके बाद

उनकी मां और सोनू मृतक पति राजबीर सिंह के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में सामने आए।

(10) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने अपील की रखरखाव के बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि चूंकि पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए यह अपील जिसमें तलाक की डिक्री लगाई गई है, समाप्त हो गई है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने ***सुनंदा बनाम वेंकट सुभा राव*** *(1)* और ***एस. एम. पांडे बनाम मनोहर*** *(2)* पर भरोसा किया है।

(11) ***इरावा बनाम शिवपा, रजिया बेगम बनाम साहेबज़ादी अनवर बेगम, कमलाबाई बनाम रामदास, श्रीमती बलबीर कौर बनाम श्रीमती हरदर्शन कौर, वडलसत्ती सरनराज्यम्मा बनाम वडलसत्ती नागम्मा, और वीणा रानी बनाम रोमेश कुमार*** पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विवादित निर्णय जजमेंट इन रेम है। इसने अपीलार्थी की स्थिति तय कर दी है। इसलिए, पति की मृत्यु के बावजूद, वह इस अपील को बनाए रखने की हकदार है। यह नहीं माना जा सकता है कि पति की मृत्यु के कारण यह अपील समाप्त हो गई है। इस अपील के दूरगामी परिणाम हैं। उसमें उनके स्वामित्व अधिकार भी शामिल हैं। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपील को समाप्त कर दिया गया है, तो उसे तलाकशुदा कहा जाएगा और वह अपने पति की संपत्ति में कोई हिस्सा पाने की हकदार नहीं होगी, हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वह प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। लेकिन अगर योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई की जाती है, तो उसे मृतक पति की विधवा माना जा सकता है और उस मामले में, वह अपने पति द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में अपना हिस्सा प्राप्त करने की हकदार होगी।

(12) ***सुनंदा के मामले (ऊपर)*** (डिवीजनल बेंच) में कानूनी स्थिति से सहमत होते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने ***एस. एम. पांडे के मामले (ऊपर)*** में यह निर्णय दिया है कि सुनंदा के मामले में यह उचित रूप से निर्धारित किया गया है कि विवाह को स्थिति से संबंधित होने के कारण तलाक की डिक्री पारित की गई है और इसलिए, जब किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है तो इस तरह के डिक्री से दायर अपील लंबित रहती है, केवल अपील समाप्त हो जाती है, जिससे डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है। यह आगे निर्धारित किया गया है कि जब कोई अपील समाप्त हो जाती है, तो डिक्री स्वचालित रूप से रद्द नहीं होती है और जब तक इसे उचित तरीके से उलट या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक इसका कानूनी बल बना रहता है। हालाँकि, इस तर्क को उनके द्वारा स्वीकार किया गया था कि चूंकि अपील मुकदमे की निरंतरता है, इसलिए डिक्री भी समाप्त हो जाती है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यदि यह जजमेंट इन रेम का निर्णय था और जब तक कि अपील की अदालत इसे उलट नहीं देती, तब तक सभी उद्देश्यों के लिए विवाह समाप्त हो जाता है।

(13) ***रज़िया बेगम के मामले (उपर्युक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब वाद में पक्षों की वैवाहिक स्थिति का प्रश्न शामिल होता है, तो न्यायालय को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि संपत्ति के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है और यह भी कि इसमें शामिल पक्षों की वैधता या अन्यथा गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

(14) ***इजाववा के मामले (उपर्युक्त)*** में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह निर्धारित किया है कि भले ही पति की मृत्यु हो गई हो, पत्नी के लिए कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया द्वारा विवाह के विघटन के आदेश

को चुनौती देना लिए खुला है। यदि पत्नी को इस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो उसकी स्थिति गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी और उसके संपत्ति के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

(15) ***रामलबाई के मामले (उपर्युक्त)*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पत्नी द्वारा तलाक की डिक्री के विरुद्ध अपील दायर की गई थी और प्रत्यर्थी-पति की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, अपील को प्रत्यर्थी की मृत्यु पर समाप्त होने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(16) इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने ***श्रीमती बलबीर कौर (उपर्युक्त)*** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि इस मामले में निर्णय न केवल व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की घोषणा करता है, बल्कि इसे वास्तविक रूप से वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा कि घोषित किया गया है। विवाह को रद्द करने का फरमान न केवल विवाह को रद्द कर देता है, बल्कि एक महिला को एकमात्र महिला के रूप में भी बदल देता है।

(17) ***थुइस्सी बनाम गोवरी और अन्य में, (9)*** एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि निरर्थकता की डिक्री किसी व्यक्ति की स्थिति की घोषणा प्रतीत होती है, इसलिए हम यह देखने में असमर्थ हैं कि पति/पत्नी की मृत्यु (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पति की मृत्यु हो गई) से दूसरे जीवित पति/पत्नी के इस तरह की घोषणा की मांग करने के अधिकार का अंत क्यों होना चाहिए। ***पोन्नुथायी अम्मल बनाम कामाक्षी अम्मल(10)*** में भी यही विचार रखा गया था।

(18) ***वीणा रानी के मामले में (उपर्युक्त)*** विवाह को रद्द करने का फरमान पति द्वारा प्राप्त किया गया था। पत्नी ने याचिका दायर की। पति

ने दूसरी शादी कर ली। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपील को निष्फल होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।

(19) ***वडालसत्ती साम्राज्यम्मा के मामले (उपर्युक्त)*** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विवाह को भंग करने वाली डिक्री में पत्नी की स्थिति की समाप्ति शामिल है, यदि डिक्री के पारित होने के बाद पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी डिक्री को दरकिनार करना चाहती है, तो सवाल यह होगा कि क्या पत्नी मृतक की विधवा होगी या तलाकशुदा। यदि पत्नी डिक्री को रद्द करने में सफल होती है, तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लाभ की हकदार मृतक की विधवा होगी और पति की संपत्तियों को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी। इस तरह के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है और यदि मृतक पति के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है, तो यह खो जाएगा । विवाह को भंग करने वाला निर्णय जजमेंट इन रेम है और इसमें न केवल पत्नी की व्यक्तिगत स्थिति शामिल नहीं होगी, बल्कि उसके संपत्ति के अधिकार भी शामिल होंगे। 'एक्टियो पर्सनल-इज मोरिटुर पर्सन' का सिद्धांत लागू नहीं होगा और एक पक्षीय डिक्री को दरकिनार करने की कार्यवाही कम नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू करती है, आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों को मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को कार्यवाही में रिकॉर्ड पर लाने के लिए लागू किया जा सकता है। इस फैसले में सुनंदा के मामले के फैसले को ध्यान में रखा गया था। सुनंदा के मामले में भी यह माना जाता है कि तलाक की डिक्री स्वचालित रूप से खाली नहीं होती है और जब तक इसे
उचित तरीके से उलट या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक इसका कानूनी बल बना रहता है।

(20) इस मामले में, मृतक-प्रत्यर्थी का कानूनी प्रतिनिधित्व पहले से ही रिकॉर्ड में है। यदि अपील को केवल इस आधार पर समाप्त करने की अनुमति दी जाती है कि पति की मृत्यु हो गई है, तो यह अपीलार्थी की स्थिति के साथ-साथ उसके संपत्ति अधिकारों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसके लिए वह हकदार हो सकती है, यदि अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। यदि वह डिक्री को रद्द करने में सफल होती है, तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने मृत पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की हकदार होगी। निस्सन्देह, यह एक जजमेंट इन रेम है। उसकी स्थिति खतरे में है। इसलिए, मेरे विचार में, केवल इस आधार पर कि पति की मृत्यु हो गई है, अपील समाप्त नहीं होती है।

(21) जहाँ तक मामले का संबंध है, पति ने तीन आधारों पर तलाक की मांग की है जो व्यभिचार, त्याग और क्रूरता है। निचली अदालत में ही बहस के समय पति ने व्यभिचार का आधार छोड़ दिया और इस प्रकार अदालत ने माना कि सबसे छोटी बेटी सपना सुरेश बाला और मृतक राजबीर सिंह की वैध संतान है। न्यायालय ने पलायन के आधार को भी नकार दिया, लेकिन जहां तक क्रूरता के आधार का संबंध है, न्यायालय ने कहा कि उसने अपने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। पति-राजबीर सिंह द्वारा क्रूरता के विभिन्न कृत्यों का आरोप लगाया गया है।

(22) बहस के समय, दोनों विद्वान वकीलों ने विभिन्न विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया गया, जिन पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

(23) ***रघबीर सिंह गिल बनाम स्वरजिज कौर*** *(11)* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम में क्रूरता को

परिभाषित नहीं किया गया है। क्रूरता का कोई सीधा सूत्र नहीं है। कभी-कभी, यहां तक कि एक इशारा, एक क्रोधित रूप, एक उद्धृत मजाक, एक विडंबनापूर्ण अनदेखी वास्तविक पिटाई से भी अधिक क्रूर हो सकता है। चूंकि अपीलार्थी वैवाहिक घर में अपने जीवन को आरामदायक बनाने में विफल रही, इसलिए उसे अपनी छत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भी देखा गया कि निचली अदालत ने सही निर्णय दिया है कि इन परिस्थितियों में उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया था। ये परिस्थितियाँ अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई थीं और वह अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकती ।

(24) ***श्रीमती उमा वंती बनाम अर्जन देव में, (12)*** यह दोहराया गया है कि दिन-प्रतिदिन का व्यवहार मानसिक शांति और सद्भाव को भंग करने जैसा था। असामान्य व्यवहार की ये छोटी टहनियाँ जब एक-दूसरे पर ढेर हो जाती हैं तो क्रूरता का भारी बोझ बन जाती हैं।

(25) ***श्रीमती अब्बा गुप्ता बनाम राकेश कुमार (13)*** में यह माना गया है कि यौन दो पति-पत्नी को एक साथ रखने के लिए एक बाध्यकारी शक्ति है। यदि यौन से इनकार किया जाता है तो इसका प्रभाव यह है कि यह मानसिक क्रूरता का कारण बनता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां पार्टियां छोटी हैं और हाल ही में शादी की है।

(26) ***जतिंदर सिंह बनाम रूपलीन कौर (14)*** में यह देखा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका निर्धारण सामाजिक स्थिति की पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज और परंपराओं और इलाके में प्रचलित जनमत जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके किया जाना है। यह ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए जिससे जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो।

(27) ***ठाकुर शांताबेन कचराजी बनाम ठाकुर दमसंग पावांग*** *(15)* में यह स्पष्ट किया गया है कि एक हिंदू पत्नी से उसके पति द्वारा पीटे जाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र या आपराधिक शिकायत की अपेक्षा करना बहुत अधिक होगा।

(28) ***वी. भगत बनाम श्रीमती डी. भगत,*** *(16)* में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मानसिक क्रूरता वह आचरण है जो दूसरे पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ा और पीड़ा देता है जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होगा। यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि पक्षों से उचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सामाजिक स्थिति, दलों के शैक्षिक स्तर और उनके द्वारा चलाए जाने वाले समाज को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(29) अन्य अधिकारियों को भी पक्षों द्वारा उद्धृत किया जाता है, जो क्रूरता के आधार को निर्धारित करने के लिए समान मानदंड निर्धारित करते हैं।

(30) जहां तक सामाजिक पृष्ठभूमि और पक्षों की स्थिति का सवाल है, इस मामले में यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि जब राजबीर सिंह और सुरेश बाला का विवाह हुआ था, तब राजबीर सिंह नौकरी पर नहीं थे। लगभग एक साल बाद उन्हें हरियाणा राज्य के पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। नियुक्त होने के तुरंत बाद, वे छह महीने के प्रशिक्षण के लिए मधुबन गए। इसके बाद, जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है, उन्हें अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया था। तीन साल तक वे चंडीगढ़ में रहे, फिर उन्हें हिसार स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ वे एक साल तक रहे और 1988 में उन्हें सोनीपत स्थानांतरित कर दिया गया। उसने स्वीकार

किया है कि इन सभी वर्षों के दौरान वह अपनी पत्नी और माता-पिता से मिलने के लिए लगभग एक महीने में किलोई आता था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राजबीर सिंह ने कभी भी सुरेश बाला को अपनी पोस्टिंग के स्थान पर अपने साथ नहीं रखा। उन्हें किलोई में वैवाहिक घर में रहने के लिए बनाया गया था।

(31) जहां तक दलों की शैक्षिक योग्यता का सवाल है, सुरेश बाला ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह पूरी तरह से अनपढ़ हैं। यह अभिलेख पर सिद्ध होता है कि राजबीर सिंह मैट्रिक पास कर चुके थे। राजबीर सिंह का बड़ा भाई कश्मीरी एक स्कूल में शिक्षक है। राजबीर सिंह के चार अन्य भाई और एक बहन है। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में अभिलेख पर कोई प्रमाण नहीं है।

(32) जहाँ तक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है। राजबीर सिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उनके सबसे बड़े भाई की शादी बुटाना में हुई थी। इससे पहले उनकी शादी नया गाँव की एक लड़की से हुई थी। पहली पत्नी से उनका कोई बेटा नहीं है। पहली पत्नी छोड़ दी थी; फिर कहा कि वह चरित्रहीन थी और उसने हमारा घर छोड़ दिया। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि अदालत में तलाक का कोई मामला दायर नहीं किया गया था, लेकिन गाँव के लोगों के बीच समझौते के माध्यम से उनका तलाक हो गया था। उन्होंने अपने पिता मुख्तियार सिंह पीडब्लू-2 की भी जांच की है। इस गवाह ने कहा है कि उसके सबसे बड़े बेटे की शादी पहली बार नया गाँव की एक लड़की से हुई थी। उनकी मृत्यु हो गई और फिर रणधीर सिंह की दूसरी शादी हुई। पीडब्लू-3 राजबीर ने यह भी स्वीकार किया कि कश्मीरी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राजबीर सिंह का यह परिवार उत्तराधिकारी परिवार की बहू के खिलाफ आरोप लगाने का आदी है। जैसा कि राजबीर सिंह ने जिरह में स्वीकार किया कि उनके बड़े

भाई की पत्नी को छोड़ दिया गया था, क्योंकि वह एक पवित्र महिला नहीं थी और अंततः प्रथम आयु पंचायत में उसका तलाक हो गया था। परिवार को उस असम्मान से बचाने के लिए, पिता और तीसरे गवाह ने कहा है कि सबसे बड़े बेटे की पत्नी की मृत्यु हो गई, हालांकि राजबीर सिंह ने ऐसा नहीं कहा है। राजबीर सिंह ने यह भी कहा है कि वह एक कृषक परिवार से हैं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि और पक्षों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य को स्कैन किया जाना है।

(33) क्रूर कृत्य का पहला आरोप यह है कि सुरेश बाला को धूम्रपान की लत थी, हालांकि राजबीर सिंह धूम्रपान नहीं करते हैं। उसने उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। निचली अदालत ने पति के इस साक्ष्य पर विश्वास किया है कि सुरेश बाला धूम्रपान कर रही थी और उसने धूम्रपान की इस आदत को छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे विचार में, निचली अदालत सबूतों को बारीकी से स्कैन करने में विफल रही है। मुख्य गवाही मे राजबीर सिंह ने कहा है कि सुरेश बाला बीड़ी पीते थे। जिरह में उसने स्वीकार किया है कि उसे शादी के लगभग 1 साल बाद पता चला कि सुरेश बाला बीड़ी पीती थी। वह दिन में 2/3 बंडल धूम्रपान करती थी, लेकिन उसके पिता मुख्तियार सिंह पीडब्लू-2 ने जिरह में कहा है कि शादी के तुरंत बाद उन्हें पता चला कि सुरेश बाला बीड़ी धूम्रपान करती थी । यह अविश्वसनीय है कि पति को शादी के 1 साल बाद पत्नी के धूम्रपान के बारे में पता चल, हालांकि ससुर को यह शादी के तुरंत बाद पता चल जाएगा। यह पत्नी के खिलाफ तलाक लेने के लिए की गई याचिका के खोखलेपन को दर्शाता है। सुरेश बाला और उनके पिता ने इस आरोप का खंडन किया है। इसलिए, मेरे अनुसार, पति पत्नी के इस कथित क्रूर कृत्य को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

(34) राजबीर सिंह ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी बेटी सीमा बीमार

थी। उसे गाँव मतिंदु ले जाया गया जहाँ सुरेश बाला और उसके पिता उसका उचित इलाज करने में विफल रहे और उनकी लापरवाही के कारण सीमा की मृत्यु हो गई। ससुर मुख्तियार सिंह ने स्वीकार किया है कि जब सीमा गाँव मतिंदु में बीमार थी, तो वह कभी सीमा को देखने नहीं गया था। उनकी मृत्यु के बाद भी वे कभी शोक व्यक्त करने नहीं गए। इस आधार पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर सीमा बीमार होती और अगर राजबीर सिंह या उसके पिता रोहतक या गांव कीलोई के अस्पताल में उसका इलाज कराना चाहते तो वे उसे वापस अपने घर ला सकते थे। रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजबीर सिंह ने सीमा को उचित इलाज के लिए अपने गांव या रोहतक लाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश बाला ने मना कर दिया। यह विश्वास करना असंभव है कि एक पुलिस कर्मचारी अपनी अनपढ़ पत्नी से इस तरह के इनकार को बर्दाश्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमा की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वह बीमार थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्यु सुरेश बाला की लापरवाही के कारण हुई थी।

(35) पती राजबीर सिंह ने यह भी दलील दी है कि सुरेश बाला की बड़ी बहन बिमला की शादी उनके बड़े भाई कश्मीरी से हुई थी। फरवरी 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। सुरेश बाला ने जनवरी 1988 में वैवाहिक घर छोड़ दिया और जब बिमला की मृत्यु हो गई तो सुरेश बाला कभी शोक व्यक्त करने नहीं आई । शपथ पर उन्होंने स्वीकार किया है कि जब बिमला की मृत्यु हुई तो सुरेश बाला के माता-पिता शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। सुरेश बाला और उनके पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब बिमला की मृत्यु हुई, तब सुरेश बाला अपने वैवाहिक घर में थीं। उनके इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। एक बहन का अपनी बहन की पीड़ा के समय मदद करना स्वाभाविक आचरण है। जब वह कैंसर से पीड़ित थी और जीवन और मृत्यु के बीच मंडरा रही थी। सुरेश बाला के

उनके साथ नहीं रहने का कोई कारण नहीं था। निचली अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि सुरेश बाला ने झूठा आरोप लगाया है कि जब बिमला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो खर्च उसके पिता ने किया था, हालांकि उसके पिता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने उसके इलाज पर कभी कुछ भी खर्च नहीं किया। यह अवलोकन गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरेश बाला ने ऐसा कहा है, लेकिन उसके पिता ने भी स्वीकार किया है कि जब बिमला उसके घर पर थी तो उसने भी उसका इलाज कराया था।

(36) राजबीर सिंह ने सुरेश बाला के इस आचरण पर भी आपत्ति जताई है कि जब उनकी बहन के पति की मृत्यु हो गई, तो वह कभी शोक व्यक्त करने नहीं आई, हालांकि उनके अनुसार, उन्होंने उन्हें मृत्यु के बारे में सूचित करते हुए एक पत्र भेजा था। सुरेश बाला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला था। उन्होंने एक और कारण भी बताया है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर की थी यह उनके इस कथन का समर्थन करता है कि उस याचिका के लंबित होने के कारण, उन्हें राजबीर सिंह द्वारा उनके बहनोई की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया होगा।

(37) प्रतिवादी के वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि राजबीर सिंह ने साबित कर दिया है कि सुरेश बाला ने 40,000 रुपये की मांग का झूठा आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि उसने उसे या तो उसके माता-पिता के घर से 40,000 रुपये लाने या गर्भपात कराने के लिए कहा था। उन्होंने टिप्पणी की कि अदालत में दायर लिखित बयान में लगाए गए उनके आरोप के अनुसार, उस समय सीमा अपने गर्भ में थी और जब उसने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया, तो उसे सोनू को पीछे छोड़कर वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मान लीजिए,

सीमा सबसे बड़ी बेटी थी। 1986 में उनकी मृत्यु हो गई। सोनू का जन्म अक्टूबर 1985 में हुआ था। इसलिए ऐसा लगता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर याचिका में लिखित बयान में इस तरह की याचिका दायर करते समय गलती से सीमा के नाम का उल्लेख किया गया है। यह सपना का नाम होना चाहिए था जैसा कि उसने शपथ पर कहा है क्योंकि यह विश्वास करना असंभव है कि एक माँ इस तरह का झूठ बोलेगी। यहां तक कि राजबीर सिंह ने भी न केवल गुहार लगाई है, बल्कि यह भी कहा है कि उन्होंने जनवरी 1988 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था। यह आरोप यह दिखाने के लिए लगाया गया है कि सपना उनकी वैध बेटी नहीं है। अंत में उसने उसके व्यभिचारी जीवन जीने के इस आरोप को छोड़ दिया और कहा कि सपना उसकी वैध बेटी है।

(38) सपना का जन्म जनवरी 1989 में हुआ था। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरेश बाला ने वर्ष 1988 में कहीं वैवाहिक घर छोड़ दिया था और उस समय उन्हें सोनू को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे गर्भपात कराने के लिए कहा गया था। जब उसने मना कर दिया, तो उसे पीटा गया और वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। उस समय तक सीमा की मृत्यु हो चुकी थी और सोनू को उसके साथ जाने की अनुमति नहीं थी। इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ के साथ न जाने देना और माँ को बेटे को वैवाहिक घर में छोड़ने के लिए मजबूर करना और उसे अकेले जाने के लिए मजबूर करना, यह पति और उसके माता-पिता की ओर से क्रूरता का सबसे बड़ा कार्य है।
उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्क को यह दिखाने के लिए तैयार करने की कोशिश की है कि उसने जानबूझकर झूठे आरोप लगाए हैं, जो सच नहीं है।

(39) अब तक की मांग के रूप में 40,000 रुपये का सवाल है, सुरेश बाला ने समझाया है कि जब उनके नाना ने अपनी जमीन बेची थी, तो उस समय

यह मांग राजबीर सिंह और उनके माता-पिता ने की थी। यह सच हो सकता है; यह सच नहीं भी हो सकता है। लेकिन यह ऐसा आरोप नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस तरह से उसने पति के साथ मानसिक क्रूरता की है।

(40) पति का यह भी आरोप है कि जब भी वह गाँव किलोई में अपने घर जाता था, तो वह नहीं मिलती थी। उसे बताया गया कि वह अपने माता-पिता के घर गई है। वह मार्टिंडु गाँव जाता था। वहाँ भी वह नहीं मिली और फिर से बताया गया कि वह गाँव कमी गई है। वह वहाँ जाता था और वह उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। इस प्रकार, निचली अदालत के अनुसार, वह यौन भुखमरी से पीड़ित था, क्योंकि सुरेश बाला ने उसे यौन सुख देने से इनकार कर दिया था। सुरेश बाला ने इस आरोप का खंडन किया है। राजबीर सिंह ने गवाही दी है कि वह सुरेश बाला को लाने के लिए 30-40 बार मतिंदु गया था। शुरुआत में वह उसके साथ 2/3 बार आती थी, लेकिन फिर उसने उसके साथ जाना बंद कर दिया। यहां तक कि उनके गवाह राजिंदर पीडब्लू-4 ने भी स्वीकार किया है कि 2/3 बार राजबीर सिंह सुरेश बाला को गाँव कामी ले आया था। ये आरोप एक पत्नी के खिलाफ आसानी से लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है कि वह किस महीने और किस वर्ष गाँव कमी गई थी और जब राजबीर सिंह ने उससे संपर्क किया और उसे अपने साथ जाने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। यहां तक कि निचली अदालत ने भी पलायन का आधार तय करते हुए कहा कि इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि सुरेश बाला ने कब राजबीर सिंह का घर छोड़ा था, क्या उसने स्वेच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड़ा था या उसे पति द्वारा अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

(41) जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा की है, उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए

मजबूर किया गया था। यहां तक कि उनके बेटे को भी उनके साथ जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, पति अपनी गलती का फायदा उठाते हुए यह कहने की स्थिति में नहीं था कि उसने उसे यौन रूप से भूखा रखा था। वह लगातार उसके साथ नहीं रह रहा था। जहां भी उन्हें तैनात किया गया था, वे अकेले रह रहे थे। वह महीने में एक बार या दो महीने में एक बार गाँव किलोई आता था।

(42) राजबीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि वह कोई घरेलू काम नहीं कर रही थी। उसने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उसके और उसके माता-पिता के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया। यहां तक कि यह आरोप भी बिना किसी विवरण के है। इस तरह के आरोप पति या उसके पिता द्वारा किसी भी महिला के खिलाफ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और पक्षों के जीवन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ऐसी अनपढ़ महिला ने अपने पति, जो एक पुलिस कांस्टेबल था, या उसके माता-पिता के साथ इस तरह का व्यवहार किया होगा। सुरेश बाला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी बहन बिमला को भी उनके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था और अंततः कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। यह सच है कि बिमला की मृत्यु कैंसर से हुई थी, लेकिन उसके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि बिमला को उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर देखा है, राजबीर सिंह यह कहने की हद तक जा सकते हैं कि उनके बड़े भाई की पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया था क्योंकि वह चरित्रहीन थी। इससे उनके घर के माहौल और उनके घर की बेटी के साथ किए गए व्यवहार की पूरी तस्वीर मिलती है। सुरेश बाला पर भी व्यभिचार का आरोप लगाया गया था।

(43) उस याचिका को मजबूत करने के लिए, आरोप लगाए गए कि वह समय-समय पर उसके (राजबीर सिंह) या उसके माता-पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना वैवाहिक घर छोड़ देती थी। कई बार वह कमी गाँव में पाई गई। यह भी आरोप लगाया जाता है कि सुमेर सिंह नाम का एक व्यक्ति उससे एकांत में बात करता था, लेकिन शपथ लेने पर राजबीर सिंह इस आरोप के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यह आरोप अपने आप में सुरेश बाला की इस दलील का समर्थन करता है कि जब सपना उसके गर्भ में थी, तो उसे गर्भपात कराने के लिए कहा गया था। इससे पता चलता है कि राजबीर सिंह को उसकी पवित्रता पर इतना संदेह था कि वह इस बच्चे के पितृत्व से भी इनकार करने की हद तक चला गया। चरित्र हनन की इस पृष्ठभूमि में उनके इस बयान पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है कि जब उन्होंने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया, तो उन्हें पीटा गया, उनका सामान और सोनू छीन लिया गया और उन्हें वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया।

(44) इस क्रूर परिदृश्य में भले ही यह तर्क माना जाए कि उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया है, उस पर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करने या उसे छोड़ने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने व्यर्थ बहस करने की कोशिश की है। इस पृष्ठभूमि में अगर वह राजबीर की बहन के पति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने नहीं गई, तो उस व्यवहार के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि सुरेश बाला ज़ांथिप्पे है। जब इस झूठे और आधारहीन आरोप का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत अपने पति के प्रति उसकी निष्ठा, उसकी शुद्धता पर न केवल संदेह होता है, बल्कि कलंकित भी होती है, अगर वह पूरी तरह से गुस्से में वैवाहिक घर छोड़ देती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। एक ओर निचली

अदालत ने उन्हें क्रूरता का दोषी ठहराया है, लेकिन नकारात्मकता को त्याग का आधार मानते हुए कहा है:-"त्याग के बारे में भी इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि श्रीमती सुरेश बाला ने राजबीर का घर छोड़ दिया, चाहे वह स्वेच्छा से अपना घर छोड़ रही हो या उसे याचिकाकर्ता द्वारा अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

ये एक अस्थिर न्यायाधीश के निष्कर्ष हैं और ऊपर दिए गए कारणों से इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(45) इस पुरुष प्रधान समाज में यदि उसकी कमजोर आवाज को अदालत द्वारा उसके साथ न्याय करने के लिए नहीं सुना जा सकता है, तो यह न केवल न्याय का अपमान होगा, बल्कि न्याय की पारगमन के बराबर होगा। इस प्रकार, मेरे विचार में, निचली अदालत ने सबूतों की बारीकी से जांच करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि उसने राजबीर सिंह के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। मेरे विचार में, पति राजबीर सिंह ने उसके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया।

(46) तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है। अपील के तहत निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है।

(47) जहाँ तक 1995 के एफएओ नंबर 796 का संबंध है, रत्ना देवी ने नाबालिग बेटे सोनू के साथ श्री पी एल गोयल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत के 16 जनवरी, 1995 के अपने फैसले को देखा और उनके द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर हमला किया है।

(48) उस मामले के तथ्य यह हैं कि श्रीमती रत्ना देवी और मृतक राजबीर सिंह के नाबालिग बेटे ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए यह याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस अपील का नोटिस दिए

जाने से पहले ही 14 मार्च, 1993 को राजबीर सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसलिए, केवल याचिकाकर्ता ही राजबीर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें जी. पी. एफ. की राशि, समूह बीमा योजना, अनुग्रह राशि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पेंशन और पुलिस कल्याण कोष से लाभ मिलता है, जो मृतक राजबीर सिंह को देय थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 दिसंबर, 1992 के आदेश द्वारा सोनीपत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने राजबीर सिंह के पक्ष में तलाक का आदेश दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरेश बाला ने उस फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील करना पसंद किया, लेकिन इससे पहले कि पति राजबीर सिंह को यह अपील दायर करने का नोटिस दिया जा सके, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए सुरेश बाला मृतक राजबीर सिंह की किसी भी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि प्रतिवादी नंबर सपना सुरेश बाला की नाजायज संतान है। तलाक के मामले में राजबीर सिंह ने आरोप लगाया कि सपना उनसे पैदा नहीं हुई है। इसलिए, यहां तक कि सपना प्रतिवादी संख्या 3 भी मृतक राजबीर सिंह को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देय उपरोक्त राशियों में से कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

(49) सुरेश बाला ने अपनी ओर से और नाबालिग बेटी सपना की ओर से जवाब दायर किया और तर्क दिया कि उसने पहले ही 5 दिसंबर, 1992 के उपरोक्त फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसे इस अदालत ने स्वीकार किया है और इसके संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसलिए डिक्री को चुनौती दी जा रही है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार यह तय किया गया है कि वह किसी भी न्यायिक फैसले के तहत तलाकशुदा है। इसलिए वह दिवंगत राजबीर सिंह की विधवा के रूप में उनकी उत्तराधिकारी बनी हुई हैं। सपना राजबीर सिंह की वैध बेटी है क्योंकि बहस के समय तलाक की याचिका की सुनवाई के दौरान, राजबीर सिंह के वकील ने स्वीकार किया कि व्यभिचार का यह आधार राजबीर सिंह

ने छोड़ दिया है और वह सपना को अपनी वैध बेटी मानता है। उसने आरोप लगाया कि सपना मृतक राजबीर सिंह की उत्तराधिकारी भी है। इसलिए, वह और उसकी बेटी सपना उपरोक्त संपत्तियों में हिस्सेदारी के हकदार हैं।

(50) प्रतिद्वंद्वी विवाद विचारण न्यायालय पर विचार करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चूंकि सुरेश बाला पहले ही 5 दिसंबर, 1992 की उक्त डिक्री के विरुद्ध अपील दायर कर चुका है और इस न्यायालय ने इस डिक्री के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सुरेश बाला एक तलाकशुदा महिला है। सपना के बारे में अदालत ने कहा कि उस वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान, राजबीर सिंह ने स्वीकार किया कि वह व्यभिचार का आधार साबित नहीं कर सके और उन्होंने सपना को अपनी वैध बेटी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए अदालत ने माना कि ये दोनों प्रतिवादी 2 और 3 मृतक राजबीर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जहां तक जी. पी. एफ. राशि का संबंध है, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-II के नियम 113 (2) (1) (सी) के तहत। "परिवार" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है अभिदाता के मृत पुत्र की पत्नी, बच्चे, विधवा या विधवा। लेकिन यह परिभाषा विरासत के अधिकार को नियंत्रित नहीं करती है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 और 3 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत मृतक राजबीर सिंह की जी. पी. एफ. राशि को समान हिस्सों में विरासत में पाने के हकदार हैं, जो कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। समूह बीमा योजना के बारे में भी, न्यायालय ने कहा कि ये सभी व्यक्ति इस राशि के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं। अनुग्रह राशि के बारे में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को छोड़कर केवल विधवा ही इस राशि की वसूली करने

की हकदार है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 और 3 मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी बराबर हिस्सों में प्राप्त करने के हकदार हैं। पेंशन के बारे में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता नं. 1 मृतक राजबीर सिंह के उत्तराधिकारियों को देय पेंशन में से कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है। केवल याचिकाकर्ता नं. 1 और उत्तरदाता 2 और 3 इसे विधवा और बच्चों के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं, लेकिन सोनू 18 वर्ष की आयु तक इस पेंशन के हकदार होंगे और सपना 21 वर्ष की आयु तक या विवाहित होने तक, जो भी पहले हो, इसके हकदार होंगे। पुलिस कल्याण निधि के लाभों के बारे में भी न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 2 और 3 समान शेयरों में यह लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इन शर्तों में जारी किया गया था।

(51) एफ. ए. ओ. संख्या 5-एम 99 का निर्णय लेते समय, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राजबीर सिंह के पक्ष में डिक्री गलत तरीके से दी गई थी और उक्त डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है। परिणाम यह है कि सुरेश बाला राजबीर सिंह की पत्नी/विधवा बनी हुई है। निचली अदालत ने माना है कि सपना राजबीर सिंह और सुरेश बाला की वैध संतान है। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए इस याचिका पर निर्णय लेते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार, यह अपील, निरर्थक होने के कारण, खारिज कर दी जाती है।

<u>अस्वीकरण</u> : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा